उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा) धनवाद।

—: पुर्ननिविदा प्रकाशन :—

वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए जिला—धनवाद अर्न्तगत संचालित कल्याण विभागीय राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर ,धनवाद के संधारणार्थ खाद्य—अखाद्य सामग्री आदि की आपूर्ति के लिए मुहरबंद पुर्ननिविदा दिनांक 14-12-16 के पूर्वाह्न में 11:00 बजे तक जिला कल्याण कार्यालय, धनवाद में उपलब्ध निविदापेटी में आमंत्रित किया जाता है। निविदा उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त,धनबाद या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायगी। अनुज्ञप्तिधारी इच्छुक बिकेता /आपूर्तिकर्ता अपना निविदा निर्धारित समय तक दो लिफाफा में यथा—(क) तकनीकि एवं (ख) वित्तीय वीड (दोनों अल्ग—अलग लिफाफा में) को एक बडा लिफाफा में अपने पूर्ण पता एवं मुहर के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी, धनवाद के पद नाम से वर्ष 2016—17 के लिए निविदा अंकित कर सीलबंद कर जमा करेंगे। निविदा खोलने के समय अलग से कय समिति के समक्ष निविदित सामग्री का नमूना भी लाना अनिवार्य होगा। नमूना सामग्री पर निविदादाता द्वारा सामग्री मूल्य एवं हस्ताक्षर अंकित रहना अनिवार्य है। नमूना इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि सहजता पूर्वक कय समिति को दिखलाया जा सके एवं तत्पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित रखा जा सके। आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों की सूची तथा निविदा शर्त झारखंड सरकार के वेबसाईट **www.jharkhand.gov.in** अथवा **www.dhanbad.nic.in** पर प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/-

जिला कल्याण पदाधिकारी,

धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(कल्याण शाखा)धनवाद।

–: पुर्ननिविदा की शर्तें :–

1. निविदा के साथ कुल 25,000/–रू0(पचीस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पद नाम से देना होगा।
2. निविदा के साथ निविदादाता को तकनीकि वीड लिफाफा (क) में अद्यतन आयकर, बिक्रीकर क्लीयरेंस ,पैन कार्ड की छाया प्रति, खाद्य–अखाद्य सामग्री आपूर्ति संबधी अनुज्ञप्ति, बिक्रेता होने का प्रमाण पत्र, तीन वर्षो का कार्यानुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, खाद्य–अखाद्य सामग्री निमित फुड लाईसेंस संबधी प्रमाण पत्र एवं अग्रधन राशि का ड्राफ्ट संलग्न करनी होगी। वित्तीय वीड लिफाफा (ख) में सामग्रियों का कमवार एकल दर अंकित रहेगा। एकल दर से अधिक दर अंकित करने पर उक्त सामग्री दर की मान्यता नहीं दी जायगी एवं उक्त सामग्री की दूसरे सुसंगत दर को अधिकतम दर होने पर भी प्राथमिकता दे दी जायगी। तकनीकि वीड (क) एवं वित्तीय वीड (ख) को एक बडा लिफाफा में अपने पूर्ण पता एवं मुहर के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी, धनवाद के पद नाम से वर्ष 2016–17 के लिए निविदा अंकित कर सीलबंद कर जमा करेंगे। सर्वप्रथम तकनीकि वीड लिफाफा कय समिति के समक्ष खोला जायगा। तकनीकि अर्हता प्राप्त निविदादाता को ही मुख्य निविदा (वित्तीय वीड) में शामिल किया जायगा। सामग्री दर अंकन में किसी प्रकार का ओवरराईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद द्वारा निदेशित स्थान पर सामग्री पहुँचाकर आपूर्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय/किसी प्रकार का कर एवं हथालन का दावा मान्य नहीं होगा।
4. निविदा में ही सभी प्रकार का कर एवं हथालन समाविष्ट कर सामग्री दर अंकित करना होगा।
5. निविदित सामग्रियों का नमूना कय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
6. मदवार उपलब्ध आवंटन के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति की जायगी। आवंटन की अनुपलब्धता की स्थिति में स्वीकृत निविदित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जायगी।
7. आवासीय विद्यालय में खाद्य–अखाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु चयनित आपूर्तिकर्ता को आदेश निर्गत की तिथि से दो दिनों के अंदर एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि निर्धारित दर पर अनुमोदित नमूना के सामग्री प्रति माह 1 ली तारीख तक प्रधानाध्यापक से खाद्य–अखाद्य सामग्रियों की आवश्यकता संबधी मांग पत्र प्राप्त कर सामग्री की आपूर्ति करना होगा।
8. आवासीय विद्यालयों में खाद्य–अखाद्य सामग्री का दर बाजार समिति दर एवं स्थानीय किराना दुकान (निबंधित किसी एक दुकान से प्राप्त दर) दर के अनुरूप तुलनात्मक रूप से न्यूनतम दर के आसपास दर मान्य होगा, ताकि सामग्रियों की गुणवत्ता बनी रहे। हरी सब्जी, मांसाहार एवं फल सामग्री के मामले में स्थानीय बाजार दर पर अधिकतम छूट प्रतिशत के आधार पर दर मान्य होगा।
9. निविदादाता का नाम कहीं भी किसी भी आपूर्ति के मामले में काली सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। तत्संबधी शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
10. निविदित फर्म/प्रतिष्ठान की ईकाई का अपने पता पर होना अनिवार्य है। सत्यापन किये जाने पर गलत पाये जाने की स्थिति में तत्संबधी फर्म/प्रतिष्ठान की अग्रधन राशि जब्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायगी।
11. आमंत्रित निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत तथा बिना कारण बतलाये रद्द करने का अधिकार उप विकास आयुक्त,धनबाद के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0/-

जिला कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(कल्याण शाखा) धनवाद।

A. खाद्य सामग्री

क्र0	सामग्री का नाम	विशिष्टता	सामग्री दर मात्रा
1	चावल उसना	उत्तम	प्रति कि0ग्रा0
		मध्यम	प्रति कि0ग्रा0
2	आटा	उत्तम	प्रति कि0ग्रा0
		मध्यम	प्रति कि0ग्रा0
3	अरवा चावल	उत्तम	प्रति कि0ग्रा0
		मध्यम	प्रति कि0ग्रा0
4	मैदा	–	प्रति कि0ग्रा0
5	चना		प्रति कि0ग्रा0
6	गुड़		प्रति कि0ग्रा0
7	चीनी		प्रति कि0ग्रा0
8	चायपत्ती	टाटा	प्रति कि0ग्रा0
9	चूड़ा		प्रति कि0ग्रा0
10	सूजी		प्रति कि0ग्रा0
11	वेसन		प्रति कि0ग्रा0
12	चना सत्तु		प्रति कि0ग्रा0
13	मिश्रित सत्तु		प्रति कि0ग्रा0
14	नारियल तेल	पैरासूट	MRP पर छूट प्रतिशत
		निहार	
15	दुध	सुधा	प्रति लीटर
16	दही	सुधा	Per Kg
17	चनादाल	–	Per Kg
18	मूँग दाल	–	Per Kg
19	मसूर दाल	–	Per Kg
20	अरहर दाल	–	Per Kg
21	सरसों तेल	ईंजन	Per Kg
		सलोनी	Per Kg
22	पापड़	लिज्जत	MRP पर छूट प्रतिशत
		श्री राम	
23	डालडा	खजूर	Per Kg
		वनस्पति	Per Kg
24	रिफाईन	धारा	Per Kg
		फार्चुन	Per Kg
25	धनिया	गोटा	Per Kg
		पाउडर	Per Kg
26	लाल मिर्च	गोटा	Per Kg
		पाउडर	Per Kg
27	हल्दी	गोटा	Per Kg
		पाउडर	Per Kg

क्र0	सामग्री का नाम	विशिष्टता	सामग्री दर मात्रा
28	गोलकी	गोटा	Per Kg
		पाउडर	Per Kg
29	जीरा	गोटा	Per Kg
		पाउडर	Per Kg
30	गरम मसाला	गोटा	Per Kg
		पाउडर	Per Kg
31	पंच फोरन	–	Per Kg
32	प्याज		Per Kg
33	लहसून		Per Kg
34	अदरक		Per Kg
35	हरी मिर्च		Per Kg
36	मूँगफली दाना		Per Kg
37	ब्रेड	छोटा पैकेट	MRP पर छूट प्रतिशत
		बड़ा पैकेट	
38	नारियल झाड़ू		प्रति अदद
39	फुल झाड़ू		प्रति अदद
40	फिनाईल		MRP पर छूट प्रतिशत
41	टुथ ब्रश	कोलगेट	MRP पर छूट प्रतिशत
		पेपसोडेंट	
42	टुथ पेस्ट	कॉलेट	MRP पर छूट प्रतिशत
		पेप्सोडेंट	
43	जीभी	–	प्रति अदद
44	कपड़ा धोने का साबुन	रिन	MRP पर छूट प्रतिशत
		निरमा	
45	नहाने का साबुन	लाईफबाय	MRP पर छूट प्रतिशत
		लक्स	
46	सर्फ पाउडर	सर्फ	MRP पर छूट प्रतिशत
		निरमा	
47	नमक–टाटा	आयोडिनयुक्त	Per Kg
48	जलावन कोयला	–	Per Kg
49	जलावन लकड़ी	–	Per Kg
50	जलावन गोईठा	–	प्रति अदद
51	बुंदिया		Per Kg
52	समोसा		प्रति अदद

B. सब्जी

क्र0	सामग्री का नाम	विशिष्टता	सामग्री दर मात्रा
1	आलू	–	MRP पर छूट प्रतिशत
2	बैंगन	–	MRP पर छूट प्रतिशत
3	टमाटर	–	MRP पर छूट प्रतिशत
4	फुल गोभी	–	MRP पर छूट प्रतिशत
5	बंधा गोभी	–	MRP पर छूट प्रतिशत
6	भिंडी	–	MRP पर छूट प्रतिशत
7	परवल	–	MRP पर छूट प्रतिशत

8	करैला	—	MRP पर छूट प्रतिशत
9	कच्चा पपीता	—	MRP पर छूट प्रतिशत
10	बोदी	—	MRP पर छूट प्रतिशत
11	झिंगा	—	MRP पर छूट प्रतिशत
12	सीम	—	MRP पर छूट प्रतिशत
13	कद्दु	—	MRP पर छूट प्रतिशत
14	नेनुआ	—	MRP पर छूट प्रतिशत
15	पालक साग	—	MRP पर छूट प्रतिशत
16	लाल साग	—	MRP पर छूट प्रतिशत
17	मटर छेमी	—	MRP पर छूट प्रतिशत
18	फरसबीन	—	MRP पर छूट प्रतिशत
19	मूली	—	MRP पर छूट प्रतिशत
20	गाजर	—	MRP पर छूट प्रतिशत
21	खीरा	—	MRP पर छूट प्रतिशत
22	पनीर	—	MRP पर छूट प्रतिशत
23	पेपची	—	MRP पर छूट प्रतिशत
24	कोहड़ा	—	MRP पर छूट प्रतिशत

C. मांसाहार

क0	सामग्री का नाम	विशिष्टता	सामग्री दर मात्रा
1	खस्सी का मांस	—	MRP पर छूट प्रतिशत
2	मछली	रोहू	MRP पर छूट प्रतिशत
		कतला	MRP पर छूट प्रतिशत
		छोटी मछली	MRP पर छूट प्रतिशत
3	मूर्गा मांस	देशी	MRP पर छूट प्रतिशत
		फारम	MRP पर छूट प्रतिशत
4	अंडा	फारम	MRP पर छूट प्रतिशत

D. फल

क0	सामग्री का नाम	विशिष्टता	सामग्री दर मात्रा
1	केला	—	MRP पर छूट प्रतिशत
2	नारंगी	—	MRP पर छूट प्रतिशत
3	आम	—	MRP पर छूट प्रतिशत
4	अमरूद	—	MRP पर छूट प्रतिशत
5	अंगुर	—	MRP पर छूट प्रतिशत
6	सेव	—	MRP पर छूट प्रतिशत
7	नासपाती	—	MRP पर छूट प्रतिशत
8	अनानास	—	MRP पर छूट प्रतिशत
9	ककड़ी	—	MRP पर छूट प्रतिशत
10	तरबुज	—	MRP पर छूट प्रतिशत
11	नींबू	—	MRP पर छूट प्रतिशत
12	खीरा	—	MRP पर छूट प्रतिशत
13	रसगुल्ला	—	MRP पर छूट प्रतिशत
14	बालुसाही	—	MRP पर छूट प्रतिशत
15	गजा	—	MRP पर छूट प्रतिशत

Sd/- 21/11/16

जिला कल्याण पदाधिकारी
धनबाद।